कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14423/1810 दिनांकः– 18.07.2014

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, चकिया के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 473/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

8. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के आय स्रोतों पर निर्भर है, पंचायत द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं तैयार किया गया था, जिसके कारण निधि की सही वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 11-12 में पूरक रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था। एवं वित्तीय वर्ष 12-13 में विभिन्न मदों का मदवार पूरक रोकड़बही का संधारण किया गया था। नगर पंचायत द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों का वर्ष 2011-12 से 2012-13 का संव्यवहार निम्न है-

(क) सामान्य रोकड़ बही

		2011-2012
1	प्रारंभिक शेष	17788610
2	प्राप्ति	12425123
4	कुल प्राप्ति (1+3)	30213733
5	व्यय	9114227
6	अन्तशेष	21099506

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए संधारित पूरक रोकड़बही के अनुसार आय- व्यय निम्न प्रकार था :

क अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	87955
2	प्राप्तियाँ	शून्य
4	कुल प्राप्ति (1+3)	87955
5	व्यय	87832
6	अन्तशेष	123

ख बालिका समृद्धि योजना/पारिवारिक लाभ/पायका / शिक्षक नियोजन

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	18935
2	प्राप्तियाँ	1870100
4	कुल प्राप्ति (1+3)	1889035
5	व्यय	1549900
6	अन्तशेष	339135

1198

ग. कबीर अंत्येष्टि

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	282200
2	प्राप्तियाँ	--
4	कुल प्राप्ति (1+3)	282200
5	व्यय	78200
6	अन्तशेष	204000

घ. यू आई डी एस एस एम टी

.		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	शून्य
2	प्राप्तियाँ	62323000
4	कुल प्राप्ति (1+3)	62323000
5	व्यय	593000
6	अन्तशेष	61730000

ङ वेतन / मानदेय

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	1713110
2	प्राप्तियाँ	2199126
4	कुल प्राप्ति (1+3)	3912236
5	व्यय	1884891
6	अन्तशेष	2027345

च मुख्यमंत्री नगर विकास योजना

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	1493545
2	प्राप्तियाँ	922326
4	कुल प्राप्ति (1+3)	2415871
5	व्यय	1190224
6	अन्तशेष	1225647

नगर पंचायत, चकिया
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.- 473/13-14
(अवधि- 2011-12 से 12-13)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, चकिया के वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लेखाओं की नमूना जाँच महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 03.06.13 से 08.06.13 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

लेखापरीक्षा अवधि में नगर पंचायत का प्रशासन निम्नलिखित था :-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	मुख्य पार्षद	
	श्री शत्रुघ्न प्रसाद	01.04.2011 से 09.06.2012
	श्रीमती वीणा देवी	09.06.2012 से 31.03.2013
2	उप मुख्य पार्षद	
	श्रीमती वीणा देवी	01.04.2011 से 09.06.2012
	श्री हरजीत सिंह	09.06.2012 से 31.03.2013
3	कार्यपालक पदाधिकारी	
	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	01.04.2011 से 04.05.2013
	श्री प्रमोद कुमार	04.05.2013 से 31.03.2013

3. लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट- I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट- II में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है।

कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से इस दिशा में आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।

196

5. आंतरिक जाँच

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 96 तथा 97 में नगरपालिका लेखाओं के संधारण तथा समन्वय पर श0स्था0नि0 में विशिष्ट लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ ही बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20 एवं 64 के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय- समय पर लेखाओं, अभिलेखों तथा वसूली की जाँच किया जाना उपबंधित है ताकि लेखाओं के संधारण एवं वसूली लेखा में किसी भी गंभीर वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं को दूर किया जा सके। नगरपालिका लेखाओं के संधारण में उचित नियंत्रण, सहभागिता तथा अनियमितताओं से बचाव के लिए इन जाँचो को विहित किया गया है।

नगर पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस तरह के जाँच की कोई व्यवस्था नगर पंचायत में नहीं की गई थी, जिसके कारण नगर पंचायत में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताएँ पाई गई, जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप समय- समय पर नियमित रूप से इसकी जाँच की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में अनियमितता की संभावना न हो।

6. लेखापरीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्र0सं0	कंडिका का सार	कंडिका सं0	राशि()
1	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं	14	1073362
2	कम/नहीं जमा (एच0 रसीद)	15	689282
3	बन्दोबस्ती नहीं होने से भारी राजस्व हानि	16	193200
4	दुकान किराया की भारी रकम वसूली हेतु लम्बित	17	131000
5	सरकारी भवनों से बकाया कर की वसूली नहीं	18	126851
6	मोबाइल टॉवरों का बकाया शुल्क	19	692000
7	श्रम उपकर की कटौती नहीं	20	59564
8	विलंब दंड की राशि की वसूली नही	21	674087
9	संवेदक को अधिक भुगतान	22	25283

7. रोकड़बही की त्रुटियाँ –

क. रोकड़बही में आय- व्यय का वर्गीकरण नहीं पाया गया।

ख आय व्यय का पूर्ण विवरण नहीं पाया गया।

ग माह के अंत में रोकड़बही के शेष को कोषागार/बैंक पासबुक के शेष से मिलान नहीं किया गया।

घ वर्षवार आय और व्यय का सार तैयार नहीं किया गया।

छ जनगणना

		2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	18785
2	प्राप्तियाँ	202150
4	कुल प्राप्ति (1+3)	220935
5	व्यय	178277
6	अन्तशेष	42658

ज नवनिर्मित सरकारी दुकान

		2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	917097
2	प्राप्तियाँ	329032
4	कुल प्राप्ति (1+3)	1246129
5	व्यय	658659
6	अन्तशेष	587470

झ बी.आर.जी.एफ.

		2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	1505799
2	प्राप्तियाँ	495415
4	कुल प्राप्ति (1+3)	2001214
5	व्यय	1229864
6	अन्तशेष	771350

ट चतुर्थ राज्य वित आयोग

		2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	3559014
2	प्राप्तियाँ	3991899
4	कुल प्राप्ति (1+3)	7550913
5	व्यय	1116289
6	अन्तशेष	6434624

ठ सूद मद

		2012-2013
1.	प्रारंभिक शेष	430221
2	प्राप्तियाँ	131526
4	कुल प्राप्ति (1+3)	561747
5	व्यय	145178
6	अन्तशेष	416569

ड नगरीय आधारभूत/ प्रशासनिक भवन एवं नागरिक सुविधा

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	153465
2	प्राप्तियाँ	4118875
4	कुल प्राप्ति (1+3)	4272340
5	व्यय	00
6	अन्तशेष	4272340

ढ पथ निर्माण / जीर्णोद्धार

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	2409836
2	प्राप्तियाँ	00
4	कुल प्राप्ति (1+3)	2409836
5	व्यय	1271451
6	अन्तशेष	1138385

ण जलापूर्ति/ विधायक मद/ चापाकल एवं चतुर्थ राज्य वित आयोग के तहत जलापूर्ति

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	1812378
2	प्राप्तियाँ	00
4.	कुल प्राप्ति (1+3)	1812378
5	व्यय	31620
6	अन्तशेष	1780758

त स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

		2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	1441359
2	प्राप्तियाँ	3000000
4	कुल प्राप्ति (1+3)	4441359
5	व्यय	1686800
6	अन्तशेष	2754559

थ पार्षद भत्ता

		2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	63700
2	प्राप्तियाँ	63600
4	कुल प्राप्ति (1+3)	127300
5	व्यय	36950
6	अन्तशेष	90350

द बारहवाँ वित, तेरहवाँ वित आयोग एवं ई गवर्नेंस

		2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	3268284
2	प्राप्तियाँ	1869769
4	कुल प्राप्ति (1+3)	5138053
5	व्यय	1491646
6	अन्तशेष	3646407

ध नाली निर्माण

		2012–2013
1	प्रारंभिक शेष	315746
2	प्राप्तियाँ	0
4	कुल प्राप्ति (1+3)	315746
5	व्यय	82796
6	अन्तशेष	232950

1192

न आंतरिक संसाधन अस्थायी

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	122688
2	प्राप्तियाँ	186380
4	कुल प्राप्ति (1+3)	309068
5	व्यय	53000
6	अन्तशेष	256068

प आंतरिक संसाधन स्थायी

		2012-2013
1	प्रारंभिक शेष	1485590
2	प्राप्तियाँ	4818605
4	कुल प्राप्ति (1+3)	6304195
5	व्यय	4169457
6	अन्तशेष	2134738

रोकड़बही एवं बैंक खाते के शेष का विवरण :

क मदवार रोकड़ बहियों के 31.03.2013 का शेष निम्नलिखित था

क0सं0	मद का नाम	31.03.2013 का शेष
1.	बालिका समृदिध योजना व अन्य	339135
2.	कबीर अंत्येष्टि	204000
3.	यू आई डी एस एस एम टी	61730000
4.	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	123
5.	वेतन एवं. मानदेय	2027345
6.	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	1225647
7.	जनगणना	42658
8.	सरकारी दुकान	587470
9.	बी.आर.जी.एफ.	771350
10.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	6434624
11.	सूद मद	416568
12.	नगरीय आधारभूत एवं अन्य	4272340
13.	पथ निर्माण एवं जीर्णोद्धार	1138385
14.	जलापूर्ति/विधायक मद	1780758

15.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	2754559
16.	पार्षद भत्ता	90350
17.	12वाँ, तेरहवाँ एवं अन्य	3646407
18.	नाली निर्माण/जीर्णोद्धार	232950
19.	आंतरिक संसाधन अस्थायी	256068
20.	आंतरिक संसाधन स्थायी	2134738
	कुल	90085475

(ख) बैंक खातावार शेष का विवरण

क्रम सं0	खाता सेख्या	बैंक का नाम	31.03.12 का शेष
1	2066713455	सी बी आई चकिया	2562502
2	2066726113	तथैव	596
3	2066791648	तथैव	610350
4	2066678033	तथैव	23051
5	6768	क्षे.ग्रा.बैंक, चकिया	460202
6	11374065868	एस बी आइ चकिया	2254377
7	11373986201	एस बी आई चकिया	1685
8	31572416337	एस बी आई चकिया	802413
9	31572429357	एस बी आई चकिया	628110
10	72110001000011716	पीएनबी	1041870
11	72110001000032816	पीएनबी	60057321
12	पी एल खाता		19710478
			88152955

9. रोकड़पाल की रोकड़बही संधारित नहीं

नगर पंचायत में रोकड़पाल की रोकड़बही का संधारण नहीं किया जा रहा है। बिहार म्यूनिसिपल एकाउंटस रूल्स 1928 के अनुसार फार्म III में रोकड़पाल की रोकड़बही का संधारण किए जाने का प्रावधान है। अतः सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध है कि इसे संधारित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएँ।

10. अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान विनियोजन पंजी का संधारण नहीं किया गया था।इसलिए लेखा परीक्षा में पूर्व के अनुदान, उसका विनियोजन एवं शेष की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। विभिन्न रोकड़बहियों के अनुसार नगर पंचायत को वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न मदों में कुल रु 87054321 का अनुदान प्राप्त हुआ। (विवरणी परिशिष्ट- III पर संलग्न)

नगर पंचायत के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अनुदान विनियोजन पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाये।

11. 13वीं वित्त आयोग की राशि का बहुत कम उपयोग

तेरहवी वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पंचायत चकिया को कुल रू 3503822 अनुदान की प्राप्ति हुई लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा अवधि तक जलापूर्ति तथा बिजली प्रबंध में रू 1117151 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर रू 10692 का व्यय किया गया। शेष राशि अव्यवहृत रही। 13वीं वित्त आयोग की दिशानिर्देशानुसार ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर न्यूनतम 50% की राशि का खर्च नहीं होना नगर पंचायत की अकर्मण्यता को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि उपलब्ध राशि को शीघ्र ही प्राथमिकता के आधार पर व्यय कर लिया जाएगा।

12. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 84 के अनुसार प्रत्येक अगले वर्ष का बजट 15 मार्च तक नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित कर स्थानीय निकायों के निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार को भेजना है तथा निदेशक द्वारा बजट का अनुमोदन कर 31 मार्च तक नगर परिषद को लौटा देना है। लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गयी सूचना के अलोक में नगर पंचायत चकिया द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत चकिया द्वारा वर्ष 2011-12 का वार्षिक बजट दिनांक 29.03.2011 को भेजा गया। 2012-13 के बजट भेजने की तिथि नहीं बतायी गयी जिससे प्रतीत होता है कि नगर पंचायत बजट नहीं बनाया गया।

13. वार्षिक लेखा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 82 से 94 के अनुसार प्रत्येक वर्ष आय एवं व्यय के वार्षिक लेखा का संधारण करना है। लेकिन नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था, जिससे कि वर्ष में हुए आय- व्यय की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका।

अतः वर्ष 2010-11, 11-12 एव 12-13 का वार्षिक लेखा तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

14. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं रू 1073362

शहरी स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) के 50 प्रतिशत की दर से शिक्षा एंवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नगर पंचायत द्वारा 2011-12 से 2012-13 के दौरान रू 1192625 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में वसूली गयी। राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकायों को वसूल किये गये राजस्व में से 10 प्रतिशत वसूली

प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाते में जमा करना था परन्तु इसे जमा नहीं किया गया। उक्त मदों में सरकारी खाते में जमा नहीं की गयी राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	शिक्षा उपकर की राशि	स्वास्थ्य उपकर की राशि	कुल राशि
2011-12	70775	70775	141550
2012-13	525537.50	525537.50	1051075
कुल राजस्व			1192625
घटावः 10 प्रतिशत वसूली प्रभार			119263
सरकारी खाते में नहीं जमा राशि			1073362

नगर पंचायत द्वारा रू0 1073362 को सरकारी खाते में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य व्ययों पर किया गया।

अतः शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि रू 1073362 सरकार के उचित शीर्ष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

15. कम/नहीं जमा (एच0 रसीद) रू 689282

नगर पंचायत, चकिया द्वारा उपलब्ध कराये गये एच रसीद/ विविध रसीद/ कैशबुक की नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा वसूली गयी पूरी राशि पंचायत निधि में जमा नहीं की गयी। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कर संग्रहकर्ता का नाम	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	नहीं जमा राशि
1	श्री रमेश शर्मा	299770	--	299770
2	श्री सतीश पासवान	58150	शून्य	58150
3	श्री धर्मेन्द्र कुमार	173759	86549	87210
4	श्री संतोष कुमार	427724	424406	3318
5	श्री सूर्यदेव कुमार	132653	111141	21512
6	श्री दिनेश कुमार	173752	128245	45507
7	श्री बैजू पटेल	240044	197562	42482
8	श्रीशशिभूषण कुमार	519141	415334	103807
9	श्री शिवकांत पाण्डेय	27526	--	27526
	कुल योग	**2052519**	**1363237**	**689282**

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट- IV पर)

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री सूर्यदेव कुमार, श्री बैजू पटेल, श्री दिनेश कुमार, श्री शशिभूषण कुमार को वसूल की गयी राशि

को कार्यालय में जमा करने के लिए दिनांक 08.06.2013 को नोटिस दिया गया है। श्री रमेश शर्मा के संबंध में बताया गया कि श्री रमेश शर्मा के नाम रू 306510 अग्रिम था जिसमें से रू 239127 का समायोजन अभिश्रव के अंतर्गत दिनांक 02.05.13 को तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया गया था। शेष रू 67383 अभी भी कैश –इन– हैण्ड उनके पास दैनिक कार्यो के लिए है। (2) श्री सतीश पासवान के नाम रू 56150 अग्रिम कुल राशि का समायोजन अभिश्रव के अंतर्गत दिनांक 02.05.13 को तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है। कर संग्रह की राशि संग्रह के दिन अथवा उसके दूसरे कार्यदिवस को ही नगर निकाय निधि में जमा कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इतना ही नहीं श्री रमेश शर्मा के पास अंकेक्षण आपत्ति के बाद भी रू 67383 कैश इन हैण्ड पड़ा हुआ है जिसे जमा करने के लिए नोटिस नहीं किया गया है जो घोर वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

अतः, सभी वसूलकर्ता से वसूली गयी राशि रू 689282 नगर पंचायत निधि में अविलम्ब जमा करवाया जाय।

16. बन्दोबस्ती नहीं होने से राजस्व हानि रू 193200

(i) वर्ष 2011–12 में सड़क किनारे बालू गिट्टी छड़ दूकान एवं ढेला गुमटी दुकानदार से टॉल वसूली हेतु बंदोबस्ती रू 45000 में की गयी थी परन्तु इसी की बन्दोवस्ती वर्ष 2012–13 में मात्र रू 23100 तथा वर्ष 2013–14 में मात्र रू 29100 में कर दी गयी। इस प्रकार पिछले वर्ष 2011–12 की तुलना में आगे की दो वर्षो में कमशः रू 21900 एवं रू 15900 कम में बंदोबस्ती हुई। फलतः इन दो वर्षो में 2011–12 की तुलना में कम से कम कुल रू 37800 की हानि हुई।

(ii) वर्ष 2011–12, 12–13 एवं 13–14 में रिक्शा ठेला साइकिल एवं विज्ञापन शुल्क की बंदोवस्ती नहीं हुई। वर्ष 2011–12 एवं 12–13 में रिक्शा ठेला साइकिल एवं विज्ञापन शुल्क की विभागीय वसूली भी नहीं हुई। इन सैरातों की बंदोबस्ती हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा राशि निम्न प्रकार थी :

सैरात जिसका न तो बंदोबस्ती हुई न ही विभागीय वसूली हुई	2011–12 के लिए सुरक्षित जमा राशि	2012–13के लिए सुरक्षित जमा राशि	कुल सुरक्षित जमा राशि
रिक्शा, साइकिल, ठेला आदि	22000	24200	46200
विज्ञापन शुल्क	70000	77000	147000
		कुल	193200

बंदोबस्ती नहीं होने से नगर पंचायत को कम से कम 193200 की भारी राजस्व की हानि हुई। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि 2012–13 में अधिसूचित दर पर उक्त बंदोबस्ती को किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया था। जिसके पश्चात दिनांक 04.04.13 के मासिक बैठक के प्रस्ताव संख्या 02 में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2011–12 के सुरक्षित जमा राशि रू 18000 से 20 प्रतिशत बढ़ाकर सैरात बंदोबस्ती करने का निर्णय किया जाय। सामान्य बैठक के निर्णय के अनुपालन में ही उक्त सैरात की बंदोवस्ती 12–13 में रू 23100 में की गयी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2011–12, 12–13 और 13–14 में साइकिल रिक्शा ठेला की बंदोबस्ती लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया जिस कारण उक्त सैरातों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी साथ ही नगर पंचायत कार्यालय के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के कारण विभागीय वसूली नहीं किया जा सका।

उत्तर संतोषजनक नहीं है। बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में विभागीय वसूली भी नहीं कराने से नगर पंचायत को कम से कम रू 193200 की राजस्व हानि हुई। यह राशि संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली जाय।

17. दुकान किराया की बकाया रकम वसूली हेतु लम्बित रू 131000

नगर पंचायत अंतर्गत कुल 93 दुकानें थी इन दुकानों से संबंधित संचिका लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह पता नहीं चल सका कि नगर पंचायत द्वारा दुकानदारों के साथ किये गए समझौते के अनुसार किराया वृद्धि की अवधि क्या थी। साथ ही मांग एवं वसूली पंजी लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना विवरणी के अनुसार विभिन्न 93 दुकानदारों के यहाँ दिनांक 31.03.13 तक कुल रू 131000 बकाया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि बकाया राशि जमा करने की कार्रवाई की जा रही है।

बकाये राशि रू 131000 की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

18. सरकारी भवनों से बकाया कर की वसूली नहीं रू0 126851

होल्डिंग(सम्पति) कर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी नगर निकाय में असंधारित थी जिसके कारण करों की माँग, संग्रहण तथा बकाया की अद्यतन स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी, हालांकि नगर निकाय द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार दिनांक 31.03.13 तक नगर निकाय के क्षेत्रांतर्गत सरकारी भवनों पर रू 126851 होल्डिंग कर के रूप में बकाया थी। इस राशि को यथाशीघ्र वसूल किया जाय एवं अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

19. मोबाइल टॉवरों का बकाया शुल्क रू 692000

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012, दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है।

1186

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क 30000 प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क 8000 प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपरवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गये विवरणी एवं मोबाइल टावरों से संबंधित उपलब्ध संचिका एवं पंजी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 10 मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे तथा इन मोबाइल टावरों पर 692000 शुल्क बकाया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि नगर निकाय अंतर्गत स्थापित कुल 10 मोबाइल टावर कम्पनियों पर कुल रू 692000 बकाया थी। इस संबंध में निकाय द्वारा शुल्क जमा करने हेतु कार्यालय द्वारा विज्ञापन निकाला गया था परन्तु कोई भी मोबाइल टावर कम्पनी शुल्क जमा कराने के लिए आगे नहीं आया है।

मोबाइल टावर कम्पनी द्वारा शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के आलोक में दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। साथ ही शुल्क की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

20. श्रम उपकर की कटौती नहीं रू 59564

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितंबर 1996 के अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 तथा बिहार सरकार की गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1-302/2006, श्र0नि0-865, दिनांक 18.08.08 द्वारा निर्माण संबंधी योजनाओं पर कुल लागत की एक प्रतिशत श्रम उपकर कार्य योजना बिलों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों एवं योजना विवरणी के अनुसार विभिन्न योजनाओं पर नगर पंचायत द्वारा विपत्रों से कुल रू0 59564 की कटौती नहीं की गयी। मदवार विवरण इस प्रकार है –

क्रम सं	योजना मद	कुल निर्माण लागत	कटौती योग्य श्रम उपकर
1	बारहवीं वित आयोग	1603096	16,031
2	नाली निर्माण	862212	8622
3	पथ निर्माण	2019125	20191
4	बी.आर.जी.एफ.	1472015	14720
	कुल	**5956448**	**59564**

नगर पंचायत को जो भी आवंटन प्राप्त होता है वह पी.एल. खाता से प्राप्त होता है। जिला मुख्यालय में लेबर सेस का भुगतान पाया लिखने के लिए कोई भी पदाधिकारी उपलबध नहीं है।

श्रम विभाग के द्वारा कहा जाता है कि आप पटना से ट्रेजरी चेक पर भुगतान पाया लिखवाकर लायें। इस प्रकार के व्यावहारिक कठिनाई के कारण इस राशि को जमा नहीं किया जा सका है। अतः उक्त प्रावधानों के अनुरूप श्रम उपकर की राशि रू 59564 संबंधित संवेदकों से वसूल कर इस राशि को संयुक्त श्रमायुक्त- सह- सचिव बिहार एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, को शीघ्र भेजा जाए।

21. विलंब दंड की राशि की वसूली नही रू 678537

नगर पंचायत, चकिया में 2011-12 से 2012-13 में कार्यान्वित योजनाओं के संचिका की नमूना जाँच में पाया गया कि संवदेकों द्वारा कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि के उपरांत कार्य पूर्ण किया गया। कार्य निष्पादन के लिए हुए संवेदक के साथ हुए संविदा के अनुसार नियम- 2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि कार्य के निर्धारित अवधि से ज्यादा में पूर्ण करने की स्थिति में संवेदक को प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 10 प्रतिशत दण्डस्वरूप देय होगा। परन्तु इस राशि की कटौती नहीं की गयी और संवेदक को भुगतान कर दिया गया। निम्नलिखित मदों के अंतर्गत चलायी गयी कुल 18 योजनाओं में दण्डस्वरूप काटी जाने योग्य राशि निम्न प्रकार है :

12वीं वित आयोग	195837
बी.आर.जी.एफ.	159620
पथ निर्माण तथा नाली निर्माण	318630
कुल :	674087

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि एकरारनामा में शास्ति का प्रावधान होने पर नहीं वसूला जाना लिपिकीय भूल मानते हुए संबंधित संवेदकों से वसूली की जाएगी। अतः संवेदकों से कुल रू 674087 वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(विवरण परिशिष्ट- V पर)

अतः विलंब शुल्क रू0 674087 योजनाओं से संबंधित संवेदक व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

21(ii) खनिजों की ढुलाई बिना किसी प्रमाण के

बिहार खनन एवं भूतत्व छूट नियम 1972 के नियम 40(10) तथा सरकारी निर्देश के अनुसार संवेदक को क्वेरी (quarry) से सामग्री लाने की स्थिति में प्रपत्र एम तथा एन भुगतान हेतु जमा करना है । अंकेक्षण में प्रस्तुत संचिकाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि संवेदकों को कुल रू1542969 माल धुलाई भाड़ा के रूप में भुगतान किया गया । विवरण इस प्रकार है :

12 वीं वित्त आयोग	314358
बी आर जी एफ	339828
पथ निर्माण तथा नाली निर्माण	888783
	1542969

1184.

संलग्न सूची के अनुसार लाये गये सामग्री के समर्थन में कोई दस्तावेज संचिका में नहीं पाया गया।

इसके साथ ही बिहार पब्लिक वर्क्स अकांउट कोड की धारा 84 के अनुसार सामग्री की प्राप्ति तथा उपयोगिता से संबंधित दस्तावेज की जरूरत है परन्तु प्रस्तुत संचिका के अवलोकन से पता चला कि इस प्रकार का कोई दस्तावेज नही था जिसका कुल मूल्य रू133631 था मदवार विवरण निम्न प्रकार है :

12वीं वित्त आयोग	रू 71271
बी आर जी एफ	रू 15101
पथ निर्माण तथा नाली निर्माण	रू 47259
	रू 133631

अंकेक्षण में मांगा गया प्रपत्र एम, एन, एफ तथा अन्य दस्तावेज नहीं दिखाया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रमाण भी लेना है। भविष्य में इस गलती की पुनरावृति नहीं की जाएगी।

(विवरण परिशिष्ट– V पर)

22. संवेदक को अधिक भुगतान ₹25283

बी.आर.जी.एफ. योजना अंतर्गत नगर पंचायत चकिया के वार्ड सं 11 में अनुसूचित जाति बस्ती में बिंद महतो के घर से माई स्थान तक पी.सी.सी. कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि 192500 थी, का निविदा के अनुसार कार्य श्री मनोज कुमार गुप्ता संवेदक द्वारा प्राक्कलित राशि के 15 प्रतिशत कम पर निविदा डाला गया। संवेदक को कार्यादेश दिनांक 22.2.12 को दिया गया तथा कार्य दो माह में पूर्ण करना था। प्राक्कलित राशि से 15 प्रतिशत कम पर कार्य करना एकरारनामा में अंकित नहीं था जबकि संचिका के अनुसार संवेदक को 15 प्रतिशत से कम पर कार्य करना था। मापी पुस्तिका के अनुसार संवेदक द्वारा दिनांक 10.04.12 को रू 192110 का कार्य दर्शाया गया जिसके विरूद्ध निम्नलिखित कटौती कर संवेदक को कुल रू 165082 चेक संख्या 569512 दिनांक 04.04.12 द्वारा भुगतान किया गया।

बिक्री कर 5 प्रतिशत	9606
आयकर 2.26 प्रतिशत	4342
सुरक्षित जमा 5प्रतिशत	9606
रॉयल्टी	3474
	रू27028

संवेदक द्वारा कार्य प्राक्कलित राशि से 15 प्रतिशत कम पर डाला गया इसलिए कुल कार्य रू 192110 से 15 प्रतिशत काट कर रू 163293 ही मान्य है जिस पर निम्नलिखित कटौती कुल रू 23494 किया जाना था तथा शुद्ध रू 139799 ही भुगतान होना था।

बिक्री कर 5 प्रतिशत	8165
आयकर 2.26प्रतिशत	3690
सुरक्षित जमा 5 प्रतिशत	8165
रॉयल्टी	3474
	₹23494

इस प्रकार संवेदक को कुल रू 25283 (165082-139799) का अधिक भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि अधिक भुगतान की गयी राशि को वसूल करने हेतु नोटिस निर्गत किया जा चुका है।

अतः रू 25283 की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

23. नगर निधि से कार्यान्वित योजना में अनियमितताएँ

1. योजना सं : 06/10-11 नगर निधि आय स्त्रोत
2. योजना का नाम : वार्ड संख्या 7 में रवि वर्मा के घर से हरि शंकर प्रसाद के घर तक पी. सी.सी. सड़क निर्माण कार्य
3. योजना का क्रियान्वयन : विभागीय
4. अभिकर्ता का नाम : मो नेसार अहमद, कनीय अभियंता
5. प्राक्कलित राशि : रू 172881
6. कार्यादेश निर्गत तिथि : 16.8.2010
7. कार्य की मापी की राशि :रू 172881
8. कार्य की मापी की तिथि - 15.4.2011
9. योजना में व्यय - अभिकर्ता को भुगतान- रू 162508 एवं वैट एवं रॉयल्टी की कटौती रू 10373, कुल रू 172881/-

   अभिश्रव का विवरण इस प्रकार था :

सामग्री	क्रय राशि
स्टोन मेटल	13950
सीमेंट	42350
झामा मेटल	12400
ईट	24800
चीप्स	41216
सोन बालू	10304
मिक्चर मशीन	10000
	रू155020

मस्टर रॉल का विवरण :

क्र. सं.	कार्यान्वयन की अवधि	मिस्त्री	मजदूर	दर	राशि
1	वर्णित नहीं	8	–	150	1200
2	,,		14	104	1456
3	,,	18		150	2700
4	,,		30	104	3120
5	,,	15		150	2250
6	,,		20	104	2080
7	,,	18		150	2700
8	,,		24	104	2496
					18002

अंकेक्षण टिप्पणी

क. संचिका में संलग्न व पारित किसी भी अभिश्रव में क्रय की तिथि अंकित नहीं था इससे स्पष्ट नहीं होता है कि सामग्री कब खरीदी गयी।

ख. रू 5000 से अधिक के अभिश्रव पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाया जाना चाहिए था जो नहीं था।

ग. मस्टर रॉल में कार्यान्वयन की अवधि अंकित नही थी। क्रमांक 7 में अंकित 18 मिस्त्री को रू 2700 का भुगतान किया गया तथा क्रम सं. 8 में वर्णित 24 मिस्त्री को 2496 का भुंगतान किया गया परन्तु मस्टर रॉल में इन मिस्त्री तथा मजदूर का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान नहीं पाया गया। इस स्थिति में भुगतान संदेहास्पद है।

घ. नगर निकायों में योजना का कार्यान्वयन केवल निविदा के माध्यम से संवेदक द्वारा ही कराया जाना चाहिए था परन्तु विभागीय कार्य कराया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि दिनांक 04.04.08 से 09.04.08 तक प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में हुई नगर आयुक्तों/नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई समीक्षात्मक बैठक में दिए गये निर्णय /ज्ञापांक 2044 दिनांक 24.04.08 के आलोक में ही योजना का क्रियान्वयन किया गया। परन्तु क, ख एवं ग में वर्णित आपत्तियों का कोई भी जबाब नगर पंचायत द्वारा नहीं दिया गया।

अतः उत्तर दिए जाने तक सामग्री की खरीद पर व्यय राशि रू 155020 एवं बिना हस्ताक्षर लिए मिस्त्री एवं मजदूरों को किया गया भुगतान रू 5196 कुल रू 160216 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

24. स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन में अनियमितताएँ

नगर पंचायत, चकिया में 13वीं वित्त आयोग मद से वार्ड नं 1 से 12 में सभी विद्युत खम्भों पर सी.एफ.एल. बल्ब एवं पोल लाइट केस लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया। इस कार्य से संबंधित संचिका की नमूना जांच में कई प्रकार की त्रुटियां पाई गयी।

नगर पंचायत द्वारा 300 यूनिट सी.एफ.एल. बल्ब एवं 300 यूनिट पोल लाइट केस लगाने हेतु दी गयी विज्ञापन एवं कोटेशन में 45-85 वाट के सी एफ एल बल्ब लगाने का वर्णन था परन्तु सलोनी इन्टरप्राइजेज के साथ किए गए एकरारनामा में 50 वाट का सी.एफ.एल. बल्ब आवश्यकतानुसार लगाने की बात कही गयी। इस प्रकार कोटेशन एवं एकरारनामा में विरोधाभाष पाया गया। "आवश्यकतानुसार" का तात्पर्य संचिका में नहीं पाया गया।

सी.एफ.एल. बल्ब एवं पोल लाइट केस के लिए विज्ञापित अल्पकालीन निविदा आमंत्रण के आलोक में चयनित सलोनी इन्टरप्राइजेज के साथ किए गए एकरारनामा की शर्त सं0 3 में सभी विद्युत खम्भों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु खम्भों से खम्भों के बीच तार नहीं होने की स्थिति में इसकी आपूर्ति अलग से संवेदक द्वारा किया जाएगा जिसका भुगतान अलग से नियमानुसार कार्यालय द्वारा किया जाएगा, का प्रावधान किया गया। परन्तु इस प्रकार के शर्त के संबंध में विज्ञापन अथवा कोटेशन में कोई चर्चा नहीं पायी गयी थी फिर इस प्रकार का एकरारनामा कर संवेदक को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया गया। सलोनी इन्टरप्राइजेज द्वारा 100 स्ट्रीट लाइट के लिए रू 346600 के विपत्र के साथ साथ अतिरिक्त विद्युत तार लगाने के लिए 60060 का विपत्र नगर पंचायत में दिया गया जिसका चेक सं0 566117 दिनांक 14.05.13 द्वारा रू 377136 का भुगतान किया गया। कितने खम्भों के बीच कितनी लम्बाई का तार टूटा था तथा किस दर एवं गुणवत्ता का तार संवेदक द्वारा लगाया गया था इसकी चर्चा कहीं भी संचिका में नहीं पायी गयी। सलोनी इन्टरप्राइजेज को किए गए कुल 200 सी.एफ.एल. बल्ब लगाने के भुगतान किया गया परन्तु सी.एफ.एल. लगाने संबंधी प्रमाणपत्र एवं बल्ब के वाट का उल्लेख संचिका में नही पाया गया। बिना इस पर विचार किए एवं आवश्यक प्रमाण पत्र दिए बिना ही संवेदक को भुगतान कर दिया गया।

सलोनी इन्टरप्राइजेज के विपत्र संख्या 103 दिनांक 22.03.13 रू 346600 के आलोक में उसे चेक सं0 ए.566112 दिनांक 24.03.13 द्वारा रू 321437 का भुगतान किया गया इसके अलावे विपत्र सं.106 दिनांक 18.04.13 में रू 346600 एवं विपत्र सं0 107 दिनांक 22.04.13 रू 60060 के विपत्र के आलोक में उसे चेक सं 566117 दिनांक 14.05.13 द्वारा रू 377136 का भुगतान किया गया। इन विपत्रों को विधिवत पास किए बिना ही भुगतान कर दिया गया।

नगर पंचायत द्वारा दिये गये जबाव में बताया गया कि आवश्यकतानुसार का तात्पर्य मुख्य चौराहों पर 85 वाट एवं अन्य जगहों पर 45 वाट का सी एफ एल लाइट के अधिष्ठापन से है। ख. पूर्व में नगर पंचायत चकिया में पथ प्रकाश हेतु सभी खम्भों पर समानांतर विद्युत तार बिछाया गया था जो वर्तमान परिवेश में कुछ जगहों पर या तो बिल्कुल ही नहीं है या जर्जर अवस्था में है। एकरारनामा में इसी तार को आवश्यकतानुसार लगाने का वर्णन किया गया है। नगर पंचायत द्वारा दिया गया जबाव संतोषजनक नहीं था। (i) संचिका एवं अभिश्रव में एक ही प्रकार का सी.एफ.एल. लगाने का प्रमाण पाया गया। 85 वाट एवं 45 वाट के बल्ब का अभिकर्ता के अभिश्रव/ विपत्र में कहीं भी वर्णन नहीं था। 85 वाट एवं 45 वाट के सी.एफ.एल. की मूल्य में अंतर होता है और 200 सी.एफ.एल. बल्ब का भुगतान किया जा चुका है। 200 सी.एफ.एल. बल्ब के वाट में अंतर से राशि में भारी अंतर हो सकता है। इसलिए इसकी जाँच करांया जाना चाहिए कि कितने जगह पर कितने वाट का बल्ब लगाया गया और फिर उसी के

1180

मूल्य के अनुसार भुगतान होना चाहिए था। साथ ही, विपत्रों को विधिवत पास किए बिना ही भुगतान किए जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। तार लगाने की बात निविदा आमंत्रण के समय नहीं की गयी थी। यदि उस समय की गयी होती तो इसके लिए अन्य फर्म भी कोटेशन देता और बाजार की प्रतियोगिता का लाभ लेते हुए कम कीमत पर भी तार लगाने का काम हो सकता था। ऐसा न कर सलोनी इन्टरप्राइजेज को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया गया। अतः पूरी प्रकिया की उच्चस्तरीय जॉच अपेक्षित है। जॉच करवाकर जॉच प्रतिवेदन अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। जॉच प्रतिवेदन दिखाए जाने तक की गयी भुगतान की राशि रू 698573 (377136+ 321437) को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

25. मोटरसाइकिल खरीद में अनियमितता :

नगर पंचायत, चकिया द्वारा दैनिक कार्यालय कार्य/ स्थल निरीक्षण आदि कार्य हेतु दिनांक 13.07.11 को मेसर्स राज ऑटो से एक मोटरसाइकिल का क्रय किया गया जिसमें चेक सं 543183 द्वारा रू 52300 का भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी :

1. नगर पंचायत में पहले से ही पदाधिकारी के उपयोग एवं कार्यालय कार्य आदि हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध था फिर भी मोटरसाइकिल का क्रय किया गया।
2. संचिका मे किस पदाधिकारी एवं कर्मचारी के उपयोग के लिए वाहन का क्रय किया गया, अंकित नहीं था।
3. क्रय किया गया वाहन को स्थायी भंडार पंजी में दर्ज नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मोटर साइकिल किस कर्मी को उपयोग हेतु हस्तगत कराया गया था।
4. नगर पंचायत द्वारा बगैर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किए बिना वाहन का क्रय किया गया था।

   लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नगर पंचायत द्वारा इस प्रकार दिया गया :

   1 चार पहिया वाहन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विधान सभा आम चुनाव के दौरान अनुमंडल कार्यालय में उपयोग में था इसलिए वाहन का क्रय किया गया था।

   भंडार पंजी में उक्त वाहन श्री रमेश शर्मा, लिपिक के नाम पर निर्गत था

   क्रय संबंधी प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पारित किया गया था।

   अनुमंडल में उपयोग किए जाने संबंधी सरकारी आदेश, भंडार पंजी एवं सशक्त स्थायी समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः उपरोक्त दस्तावेज /सूचना से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय। तब तक वाहन क्रय पर किया गया व्यय रू 52300 अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

26. सरकारी आदेश का उल्लंघन कर नगर प्रबंधक का मानदेय का भुगतान

नगर पंचायत, चकिया में पदस्थापित नगर प्रबंधक, श्री रितेश कुमार गुप्ता को वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कुल 500000 का भुगतान किया गया था। सरकार के उप सचिव- सह- निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश पत्रांक

संख्या 090748 दिनांक 11.04.07 के द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त अनुदान के आलोक में इस योजना के कियान्वयन के लिए अभिकर्ता को 31.01.08 से 09.02.10 के बीच रू 2807500 का अग्रिम दिया गया परन्तु अभिकर्ता द्वारा इस संबंध में 09.02.10 तक दी गयी अग्रिम के विरूद्ध अभिश्रव कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अग्रिम भुगतान हेतु आवेदन के आलोक में स्पष्ट लिखा जाता था कि अभिकर्ता द्वारा कोई अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया। मापी पुस्तिका के अनुसार दिनांक 16.07.10 तक रू 3004404 का कार्य दिखाया गया। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कुछ अभिश्रव की नमूना जांच में पाया गया कि रू 808626 के अभिश्रव पर सामग्री के खरीद करने वाले का नाम नहीं लिखा था। मास्टर रॉल 52512 में मजदूर का नाम नहीं था केवल हाजिरी दर्ज था। साथ ही भुगतान पाने वाले मिस्त्री एवं मजदूर का हस्ताक्षर व अंगूठा का निशान नहीं पाया गया। अभिकर्ता द्वारा प्रशासनिक भवन हेतु प्रयुक्त रू 106186 का विद्युत सामग्री का विपत्र समर्पित किया गया था परन्तु मापी पुस्तिका के अनुसार विद्युतीकरण के कार्य की प्रविष्टि नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि अभिकर्ताओं के द्वारा ससमय अभिश्रव नहीं प्रस्तुत किया जाना निश्चय ही एक भूल माना जा सकता है। कनीय अभियंता द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव में कतिपय खामियां हैं जिन्हें भविष्य में दूर कर लिया जाएगा। अन्य आपत्तियाँ सही है। अतः कोई स्पष्टीकरण दे पाना संभव नहीं है।

अतः मजदूरों के भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं की विस्तृत जांच करायी जाय। जाँच प्रतिवेदन अंकेक्षण कार्यालय में प्राप्त होने तक दी गयी अग्रिम की राशि रू 2807500 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

29. मुख्यमंत्री नगर विकास योजनांतर्गत कार्य को ससमय पूरा नहीं किया जाना

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत चलायी जा रही योजनाओं की योजना विवरणी तथा संचिका की नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि संचिका में मापी पुस्तिका संलग्न नहीं था। संचिका के अवलोकन से पता चला कि मापी पुस्तिका संबंधित संवेदक के पास था। मापी पुस्तिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। योजना विवरणी से स्पष्ट हुआ कि संवेदको द्वारा कार्य नियत समय पर नहीं किया गया। कार्य निष्पादन के लिए हुए संवेदक के साथ संविदा के नियम -2 के अनुसार निर्धारित अवधि के बाद कार्य पूर्ण करने की स्थिति में संवेदक को प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम 10 प्रतिशत तक दण्डस्वरूप देय होगा। तदनुसार संवेदक से विलम्ब से कार्य करने के कारण दण्डस्वरूप रू 412604 की कटौती के उपरांत ही भुगतान किया जाना चाहिए। विवरणी परिशिष्ट V। पर संलग्न।

लेखापरीक्षा द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः संवेदक को विलम्ब से कार्य पूरा करने के कारण दण्ड की राशि रू 412604 की कटौती की जाय।

30. लैपटॉप खरीद में अनियमितताएँ

178

लैपटॉप की खरीद हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत क्रय का प्रारूप दिनांक 15.11.2011 एवं साथ मतें संलग्न कोटेशन व विपत्र की जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आया :

लैपटॉप की खरीद बी.आर.जी.एफ. मद से खरीदे जाने का आदेश कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिया गया। क्रय हेतु संचिका संधारण नहीं किया गया था। अभिश्रव के साथ दिनांक 12.11.11 को दो फर्म सुप्रियर कम्प्यूटर, पटना एवं माही कम्प्यूटर, पटना का कोटेशन पाया गया जिसका दर क्रमशः 29600 एवं 28700 था। सीधे कम दर वाले फर्म मे माही कम्प्यूटर, पटना से दिनांक 16.11.2011 को क्रय किये जाने का विपत्र पाया गया।

रोकड़ पंजी के अनुसार मे0 माही कम्प्यूटर के नाम चेक निर्गत पाया गया जिसका चेक सं 0310952 दिनांक 16.11.2011 था परन्तु चेक पंजी के अनुसार उक्त चेक श्री रितेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक का पाया गया। साथ ही दिनांक 16.11.11 को ही बैंक से नकद राशि रू 28000/– की निकासी की गयी। इससे फर्जी निकासी की संभावना प्रतीत होती है।

जिस फर्म से क्रय किया गया उसके कोटेशन एवं विपत्र में कोटेशन चालान एवं विपत्र एक ही बुक से संधारण किया गया था।

कोटेशन दिनांक 12.11.2011 को प्राप्त किया गया था जिसपर क्रमांक 43 पाया गया परन्तु दिनांक 16.11.11 का क्रय का विपत्र पाया गया जिसपर क्रमांक 32 पाया गया। अतः कोटेशन प्राप्त होने के पूर्व क्रय किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जो वित्तीय अनियमितता है।

नगर पंचायत द्वारा स्थायी सामग्री की भंडार पंजी ध्ग संधारण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि लैपटॉप आपूर्ति की दशा में नकद भुगतान की बात कही गयी जिसके कारण राशि नगर प्रबंधक के नाम से एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से दिया गया जिसे नकदी के रूप में निकासी के बाद माही कम्प्यूटर पटना को भुगतान किया गया।

नगर पंचायत चकिया कार्यालय में भंडार पंजी का संधारणकर लिया गया है तथा उक्त वर्णित लैपटॉप नगर प्रंबंधक के नाम से निर्गत है।

माही कम्प्यूटर द्वारा बताया गया कि बिल कोटेशन से संबंधित भॉल्यूम में मात्र 50 की संख्या में बिल/ कोटेशन आते हैं उक्त एक भॉल्यूम समाप्त होने पर दूसरा भॉल्यूम से बिक्री की जाती है जो पुनः उसी क्रम संख्या से शुरू होता है। क्रय किये गये लैपटॉप का बिल संख्या एमसी/आर1/2103 अंकित है तथा वैध बिल है। अतः लैपटॉप खरीदगी में कोई भी फर्जी निकासी नहीं की गयी है।

उत्तर अंकेक्षण में मान्य नहीं है। रोकड़पंजी के अनुसार मे0 माही कम्प्यूटर के नाम चेक निर्गत था परन्तु चेक पंजी के अनुसार वही चेक श्री रितेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक के नाम से दर्ज होना विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसकी उच्चस्तरीय जॉच वांछनीय है। जांच रिपोर्ट आने तक खर्च की गयी राशि रू 28000 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

31. पाइका योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन के विरूद्ध व्यय की उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं

पाइका योजनांतर्गत नगर पंचायत को रू 119500 का आवंटन प्राप्त हुआ था। उपविकास आयुक्त, मोतिहारी के पत्र के अनुसार राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता

सं0–एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ दिनांक :

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का अनुपालन अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीनों के अंदर नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति को समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

''यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।''

-sd-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं0 एल0ए0/एस0एस0–1/ श0स्था0नि0/ दिनांक :

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना

(ii) जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

नगर पंचायत, चकिया 176

परिशिष्ट – 1

अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी अभिलेखों की सूची

प्रतिवेदन की कंडिका 3 के संदर्भ में

1. पाइका, बालिका समृद्धि योजना यूआईडीएसएसएमटी, अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क, वेतन/मानदेय,नाली निर्माण, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, जनगणना, नवनिर्मित सरकारी दुकान , बी आरजीएफ, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, सूद मद, नगरीय आधारभूत/प्रशासनिक भवन एवं नागरिक सुविधा, पथ निर्माण/जीर्णोद्धार, जलापूर्ति/विधायक मद चापाकल एवं चतुर्थराज्य वित्त आयोग के तहत जलापूर्ति बारहवें एवं 13 वें वित्त आयोग ,कबीर अंत्येष्टि , स्वर्णजयन्ति शहरी रोजगार योजना पार्षद भत्त, ई –गवर्नेन्स, आंतरिक संसाधन से संबंधित रोकड़बही, सामान्य रोकड़बही

2 उपरोक्त से संबंधित बैंक पास बुक आंशिक

3 अभिश्रव आंशिक

4 रसीद बही एवं भंडार पंजी

5 बंदोबस्ती संचिका

6 योजना अभिलेख– आंशिक

स.लें.प.प.

नगर पंचायत, चकिया 175

3370

परिशिष्ट - 4

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी अभिलेखों की सूची

प्रतिवेदन की कंडिका 3 के संदर्भ में

1. अनुदान पंजी
2. वार्षिक लेखा
3. अनुदान पत्र
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र
5. बजट
6. भविष्य निधि लेखा
7. मांग एवं वसूली पंजी
8. सरकारी भवनों से संबंधित संचिका
9. लॉग बुक
10. कर निर्धारण पंजी
11. रिमिशन पंजी
12. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
13. परिसम्पत्ति पंजी
14. बंदोबस्ती पंजी
15. कैशियर की रोकड़बही
16. दैनिक वसूली पंजी

स.लै.प.अ.

प्रमाणपत्र भेजना था। नगर पंचायत द्वारा प्राप्त राशि रू 119500 प्रधानाध्यापक, बालदेव साह अतिन अयोध्या प्रवेशिका उच्च विद्यालय चकिया को दिनांक 08.02.13 को दिया गया था और एक सप्ताह के अंदर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने को कहा गया था। परन्तु उपयोगिता प्रमाणपत्र 6 माह बीत जाने के बाद भी नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि संबंधित विद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय को समर्पित कर दिया गया है।

परन्तु लेखापरीक्षा में उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया। अतः इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तब तक व्यय की गयी राशि रू 119500 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

32. योजना के प्राक्कलन में निर्धारित कार्य एवं मापी पुस्तिका में दर्ज कार्य में भारी अंतर

नगर पंचायत चकिया के अंतर्गत वार्ड सं 1 लाल देववास के रोड से लखना नदी तकनाला निर्माण कार्य योजना की संचिका में संलग्न मापी पुस्तिका तथा एकरारनामा में दर्ज कार्य के मिलान में पाया गया कि एकरारनामा में दर्ज कार्य से 10 प्रतिशत से अधिक (अधिकतम) 74.26 प्रतिशत कार्य किया गया। संचिका में डेविएशन एट साइट स्टेटमेंट नहीं बनाया गया। बिना डेविएशन एट साइट स्टेटमेंट बनाये योजना पर किया गया व्यय रू 121556.03 अनियमित था। साथ ही संबंधित योजना पर अधिक कार्य पर लगे भाड़ा भी उसी अनुपात में अमान्य है जिसका कुल मूल्य रू 68883.35 रू था।

विवरणी परिशिष्ट VII पर संलग्न

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि इस तकनीकी पहलू के संबंध में कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से पत्राचार किया जाएगा।

योजना पर किए गए अनियमित व्यय रू 190439.38 की उच्चस्तरीय जॉच वांछनीय है। जॉच रिपोर्ट लेखापरीक्षा कार्यालय में आने तक रू 190439.38 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

33. दैनिक वसूली पंजी संधारित नहीं :

नगर पंचायत में दैनिक वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है जबकि बिहार म्यूनिसिपल एकाउंटस रूल्स 1928 के अनुसार फार्म XXXC में दैनिक वसूली पंजी का संधारण किया जाना है। इसे संधारित करने के लिए निर्देश दिये जाये।

34. परिमाण विपत्र की भण्डार पंजी संधारित नहीं :

नगर पंचायत द्वारा लेखापरीक्षा अवधि का परिमाण विपत्र की पंजी संधारित नहीं थी जिसके कारण मुद्रित परिमाण विपत्र की संख्या बिकी की गयी परिमाण विपत्र की संख्या एवं उससे प्राप्त होनेवाले आय की जॉच नहीं की जा सकी। अतः परिमाण विपत्र पंजी का संधारण कर उसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।